






XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण नं. रेस्टो.972-तीन / 14

जिला-शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-3-15	<p>आवेदक की ओर से श्री ए.के.अग्रवाल, अभि, तथा अना. की ओर से श्री एस.के.अवस्थी, अभि. उप. ।</p> <p>उभयपक्ष अभि. को रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना गया । आवेदक अभि. द्वारा रेस्टोरेशन के संबंध में बताए गए कारण समाधानकारक होने के कारण मूल प्र.क.रिव्यू 1576-दो / 13 पुनः नम्बर पर लिया जाता है ।</p> <p>यह प्रकरण नस्तीबद्ध होकर दाखिल रिकार्ड हो ।</p>	 सदस्य



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

रेस्टोरेशन प्रकरण क्रमांक 972-III/2014 जिला-शिवपुरी

रामदयाल पुत्र गोकलिया, निवासी ग्राम
धौलागढ, तहसील व जिला शिवपुरी (म.प्र.)
— प्रार्थी

Res 972-III/14

श्री. चर्म उचयन 8/11/14
21-3-14
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश

21/3/14

विरुद्ध

जवाहरलाल पुत्र गोकलिया (मृत) विधिक
वारिसान:-

1. हरचरण पुत्र स्व. जवाहरलाल
2. अशोक बाथम स्व. जवाहरलाल,
3. कमलाबाई पुत्री स्व. जवाहरलाल,
4. कमलाबाई पत्नी श्री लालाराम
5. सुशीलाबाई पत्नी श्री प्रीतम,
6. गुड्डीबाई पत्नी मोहन,
7. भूरीबाई पत्नी दिलीप,
8. रेखाबाई पुत्री जवाहरलाल
समस्त निवासीगण टी.बी. अस्पताल के
पीछे, शिवपुरी, जिला शिवपुरी (म.प्र.)
चन्दाबाई पत्नी अशोक मृत विधिक
वारिसान:-
9. अशोक पुत्र नामालूम, निवासी चाय की
दुकान, नेहरू पेट्रोल के पास, ए.बी.
रोड, लश्कर, ग्वालियर
10. जगन्नाथ पुत्र गोकलिया, निवासी
धौलागढ, तहसील व जिला शिवपुरी,
11. रामचरण पुत्र गोकलिया, निवासी पुलिस
अधीक्षक कार्यालय, जिला शिवपुरी म.प्र.

..... प्रतिप्रा:

आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 32 एवं धारा 8 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से यह आवेदन सविनय निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

..... के समक्ष माननीय न्यायालय द्वारा